स्वाधीनता दिवस समारोह–2015
परमावश्यक

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषयः–स्वाधीनता दिवस समारोह–2015 के अवसर पर योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने बाबत्।

आगामी स्वाधीनता दिवस समारोह, 2015 के अवसर पर राजस्थान सिविल सेवा (ईनाम, योग्यता पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाना) नियम, 1973 के नियम–7 के अन्तर्गत **राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों** को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जायेंगे, जिनके लिए प्रस्ताव सदैव की भांति विचारार्थ आमंत्रित है।

अतः अनुरोध है कि आपके अधीन नियोजित सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु उनके सेवाकाल के संबंध में विवरण तथा उनकी सेवायें किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध हुई, उसके संबंध में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रशासनिक सचिव की टिप्पणी सहित संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर, प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में **दिनांक 25.07.2015 तक अवश्यमेव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवा दिये जावें,** ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। **इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।**

प्रायः यह देखा गया है कि संबंधित विभाग प्रस्ताव भेजते समय अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदनों का वांछित मूल्यांकन किये बिना ही प्रस्ताव इस सचिवालय को भेज देते हैं। अतः कृपया निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्ताव भेजा जावे अन्यथा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जावेगाः–

1. विभाग द्वारा अपने स्तर पर परीक्षण किया जाकर न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन **"उत्कृष्ट"** श्रेणी तथा शेष **"बहुत अच्छा"** श्रेणी के होने पर ही प्रस्ताव सात वर्षों यथा **वर्ष 2008–2009 से 2014–15** तक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित प्रेषित किये जावें। अन्यथा प्रस्ताव को अपूर्ण मानकर उस पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. **प्रस्ताव प्रशासनिक सचिव की सिफारिश व संबंधित मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर भेजें।**
3. प्रस्ताव छः प्रतियों में प्रेषित करें।
4. प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियाँ पूर्ण करें।
5. प्रस्ताव के साथ प्रशस्ति–पत्र हिन्दी भाषा में छः प्रतियों में स्वच्छ टंकित कर संलग्न करें।

कृ.पृ.उ.